

11829

7. आयुक्त, नगर निगम, कोटा।
8. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रूफडिको।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), कोटा।
12. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, कोटा संभाग।
13. संयुक्त निदेशक (प्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
15. अधिशासी अभियन्ता, निदेशालय, जयपुर।
16. CMAR निदेशालय, जयपुर।
17. SBM, PMU Consultant.
18. रक्षित पत्रावली।


(संचिता विष्णोई)
अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-३ राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईंस फाटक सो-रक्कीम, जयपुर।
टेलीफँक्स :- ०१४१-२२२२४०३, ई-मेल :- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट :- www.lsgraj.org

क्रमांक :- एफ ५५()Engg./CE/DL.B/SBM/Jodhpur/15/ २१८५६



राज्य पारत - राज्य राजस्थान
एक कानून संरक्षण की प्रेरणा

दिनांक :- ०५.०७.२०१५

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन न्यायिक स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, जोधपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया समीक्षा बैठक भैं मुख्यरूप से स्वच्छ भारत मिशन (SBM) कियान्वित राष्ट्रीय शहरी अस्तित्विका मिशन (NULM) चौहवे वित्त आयोग (14th FC) राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऊर्जा व्यव हेतु ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाईट (LED), लेण्ड बैंक, भारत सरकार की योजना AMRUT/HFA/SMART CITY/UIDSSMT एवं RUIDP द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों के धरों में बत्तनान स्थिति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान संभागीय आयुक्त, जोधपुर आयुक्त नगर निगम जोधपुर, उप निदेशक (स्थानीय निकाय) जोधपुर, जोधपुर नगर की निकायों के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कानूनिक अभियन्ता उपस्थित रहे।

निदेशालय स्थानीय निकाय, आरयूआईडीपी व रूडिफकों से उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे तथा CMAR एवं PMU Consultant भी बैठक में उपस्थित रहे।

संभागीय आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन में प्रमुख घटक यथा खुले में शौच मुक्त की दिशा में घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा उपयोग व रखरखाव के धरों में विस्तृत चर्चा की। सभी नगर निकाय आगामी 20 वर्ष के लिये सिटी डेवलपमेंट प्लान (COP) बनाये जावे एवं 5 वर्ष के लिये एकशन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।

खुले में शौच मुक्त :- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय विहिन धरों में शौचालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुलप किये जाने तथा निकायवार प्रगति रिपोर्ट ली जाकर सर्वीक्षा की गई, साथ ही वह नी निर्देश दिये गये कि जिन निकायों में 1100 या 1100 से कम शौचालयों का निर्माण किया जाना है, उन निकायों को वर्ष 2015-16 में खुले में शौच मुक्त निकाय बनाया जाये। शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर सभी निकाय प्रमुखों को इसकी गति बढ़ाने एवं राजस्थान निकाय को खुले में शौचमुक्त बनाये जाने हेतु त्वरित गति से प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक वार्ड में स्वच्छतादूत को नियुक्त कर स्वच्छ भारत मिशन की कियान्वित के भी निर्देश दिये गये।

प्रत्येक नगरीय निकाय ने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरेलू शौचालयों के आवेदन पत्रों को Online Uploading हेतु भारत सरकार द्वारा Citizen Service Center (CSC) के मध्य MoU किया गया है। जिसके बारे में निकायों को पृथक ते निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रत्येक निकाय अपने केंद्र के घरेलू शौचालयों द्वे निर्माण के प्रार्थना पत्रों को स्वच्छ भारत मिशन की देवलाईट पर Online Uploading CSC के माध्यन से करवा सकते हैं।

“खुले में शौच मुक्त राजस्थान” की प्रगति के धरों में प्रत्येक नगर निकाय द्वारा घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु राजि को लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की जावें।

सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का घयन कर निविदा आमंत्रित कर शौचालयों का निर्माण किया जावे। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप 5 वर्ष के रखरखाव संचालन का अनुबन्ध भी साथ ही किया जावे।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :- स्वच्छ भारत मिशन में दूसरे महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुरूप प्रत्येक नगर निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु यिस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवानी है। उक्त डीपीआर में सिटी सेनिटेशन प्लान (CSP) का समावेश करते हुये डीपीआर को स्वीकृति हेतु राज्यस्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त कर्मटी (HPC) में भिजवाने के निर्देश दिये गये। जिन शहरों की डीपीआर सलाहकार फर्मों द्वारा तैयार की जा रही है। उनसे अतिशीघ्र तैयार करवाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावे। घर-घर कचरा संग्रहण एवं कचरे के परिवहन हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। कचरे के परिसंस्करण हेतु प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

नगर निगम, जोधपुर द्वारा आमंत्रित Waste to Energy Plant लगाये जाने को निविदा को अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही Cleanliness Drive चलाने के निर्देश दिये गये जिसमें शहर की सफाई व्यवस्थाएं एवं अनाधिकृत पोर्टर-केनर को हटाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम हेतु प्रभावी कदम एवं प्लास्टिक केरी थैंग जब्त करने की कार्यवाही की जावे।

बैठक में चर्चानुसार यह बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सोजत, जैतारण तख्तगढ़ एवं सांचोर में जमीन उपलब्ध नहीं है। इस हेतु संगारीय आयुक्त द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिखे जाने एवं भूमि आवंटन के प्रयास किये जाने हेतु निकायों को निर्देशित किया गया।

Information Education & Communication (IEC) :- स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक IEC हेतु Social Media जैसे Facebook और Whatsapp का प्रयोग कर IEC के अन्तर्गत हुई गतिविधियों की फोटो डालकर संक्षिप्त विवरण के साथ प्रचारित करने के निर्देश दिये।

सामुदायिक जागरूकता एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है, जो कि शौचालय निर्माण से पूर्व निर्माण के दोस्रान एवं निर्मित शौचालय के उपयोग में एक महत्वपूर्ण Role Play करती है अतः प्रालिकाओं को निर्देशित किया गया कि इस घटक के अन्तर्गत राशि व्यय कर गतिविधिया सम्पन्न कराइ जावे।

Capacity Building :- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु निकाय के सभी पार्षद, MLA, Mayor, Chairman को साथ लेकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढाये जाने क्रम में निकायों के कचरा परिवहन वाहनों, कचरा पात्रों इत्यादि पर स्वच्छ भारत मिशन का logo व Tag Line (स्वच्छ भारत-स्वच्छ राजस्थान - स्वच्छ (नगर निकाय का नाम) को लगाने के निर्देश दिये गये।

स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाये जाने हेतु आमजन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रत्तार (IEC) गतिविधियां रखच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गये। शिक्षा विभाग को सम्मिलित कर शिक्षण संस्थाओं में निबन्ध व Quiz प्रतियोगिता सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये हैं। IEC की मार्गदर्शिका एवं अन्य दस्तावेज CMAR को वेबसाइट पर उपलब्ध है।

चौदवे वित्त आयोग :- चौदवे वित्त आयोग के बारे में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा चौदहवें वित्त आयोग व अन्य बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौदवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वैसिक ग्रान्ट एवं परफोर्मेंस ग्रान्ट के लिए आवश्यक रिफॉर्म को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर निकायों की स्वयं भी आय को बटाने हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया गया। स्वयं की आय प्रत्येक आगामी वर्षों में बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। निकायों के लंबित ऑडिट पैरा के निरतारण हेतु प्रभावी कार्यवाही कि जावें। निकायों को पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमात्र पत्र अतिशीघ्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

National Urban Livelihood Mission (NULM) :- NULM के घटकों की कियान्विति हेतु परियोजना निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। NULM के घटकों की कियान्विति हेतु नगर निकायों को सनयवद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समयवद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। यांजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु RSLDC के जिला कार्यालय से संपर्क कर कार्य को त्वरित गति संकरवाये जाने के निर्देश दिये गये। निकायों को पूर्व में SJSRV अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग नहीं करने वाली निकायों को इस राशि को NIJLM योजना में आरन्तिक शेष (Opening Balance) मानते हुए इतका उपयोग किया जावे।

ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) :- ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) प्रोजेक्ट के बारे में अधीक्षण अभियन्ता विधुत द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। एनर्जी इफिसियेन्ट सर्विसेज लि. (EESL) Ministry of Power की PSU कम्पनी से MoU किया गया है, वर्ष 2017 तक राज्य की समस्त निकायों की स्ट्रीट लाईट LED लाईट लगावाई जावेगी। इस हेतु कम्पनी द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को MoU की शर्तों के अनुसार मगर निकायों में एलईडी लाईट लगाने की कार्यवाही की जावे एवं जिन निकायों के MoU नहीं हुआ है उनका MoU करवाये जानें की कार्यवाही की जावे।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा यह बताया गया, कि सम्पर्क पोर्टल पर यकाया प्रकरणों को नियमित रूप से चैक कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे। नगर निकायों से सम्बन्धित कार्यों की आमजन की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है। टोल फी नं. 18001806127 पर शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेगी। टोल फी नम्बर का सभी ULBs के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।

निर्देशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा विधान सभा प्रश्नों को समय पर निस्तारण, भूमि शाखा में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण निम्यानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रोपटी रजिस्टर का संधारण करते हुये Land bank बनाये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि नगर निकायों में स्टॉफ की कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये, कि जिला कलक्टर से स्टाफ हेतु अतिरिक्त चार्ज दिये जाने एवं सेवानिवृत कार्यालयों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार त्वीकृत पद से आधे पदों पर कार्य पर रखा जाना चाहिए।

भारत सरकार की नवीन योजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, RUIFDCO द्वारा विस्तार से बताया गया तथा योजनाओं हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट इत्यादि तैयार किये जाने हेतु नंगर निकायों को निर्देश दिये गये हैं।

1163

जोधपुर संभाग में RUIOP द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में बताया गया तथा जोधपुर शहर की सीवरेज के बारे में विस्तृत घर्चा की गई। जोधपुर शहर के बचे हुये क्षेत्र हेतु सीवरेज की DPR बनाये जाने की आवश्यकता घटाई गई। इस हेतु नगर निगम, जोधपुर को निर्देश दिये गये। जोधपुर संभाग में चल रहे सीवरेज के कार्यों को पूर्ण करवाते हुये घरों से निकलने वाले सीवरेज को सीवर्स लाइन से जोड़ने का काम अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

निर्देशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति एवं अन्य योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

उप निर्देशक (क्षेत्रीय) जोधपुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में दैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

फ्रमांक :- एफ 55()Engg/CE/DLB/SBM/Jodhpur/15/ ८१३५७ - ११
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(संचिता विश्नोई)

अतिरिक्त निर्देशक

दिनांक :- ०५. ०८.

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निर्देशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
4. परियोजना निर्देशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
5. कार्यकारी निर्देशक, रफ़डिको, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. परियोजना निर्देशक, निर्देशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रफ़डिको।
12. उप निर्देशक (क्षेत्रीय), जोधपुर।
13. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, जोधपुर संभाग।
14. संयुक्त निर्देशक (प्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
16. अधिशासी अभियन्ता, निर्देशालय, जयपुर।
17. CMAR निर्देशालय, जयपुर।
18. SBM, PMU Consultant.
19. रक्षित पत्रावली।

(संचिता विश्नोई)

अतिरिक्त निर्देशक


राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कोम, जयपुर।
टेलीफँक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsgraj.org

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/SBM/Jaipur/15/ २१९५६

दिनांक :- ०५.०८.२०१५



राजस्थान - स्वायत्त शासन
एक उत्तम संवेदन का जन

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के तभा कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में मुख्यरूप से स्वच्छ भारत मिशन (SBM) कियान्विति राष्ट्रीय शहरी अजिविका मिशन (NULM) घौहवें घित आयोग (14th FC) राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाईट (LED), लैण्ड बैंक, भारत सरकार की योजना AMRUT/HFA/SMART CITY/UIDSSMT एवं RIJIDP द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों के बारे में 'वर्तनान रिथिति एवं प्रगति पर विस्तृत घर्चा की गई।

घर्चा के दौरान आयुक्त नगर निगम जयपुर, उप निदेशक (स्थानीय निकाय) जयपुर, जयपुर समान की निकायों के आयुक्त/अधिशापी/अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित रहे। निदेशालय स्थानीय निकाय, आरयूआईडीपी व रुडिफकों से उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे तथा CMAR एवं PMU Consultant भी बैठक में उपस्थित रहे।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन में प्रमुख घटक यथा खुले में शौच मुक्त की दिशा में घरेलू शौचालयों का निर्माण सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के बारे में विस्तृत घर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की धीमीगति को त्वरित गति से बढ़ाये जाने एवं कोताही वर्तने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की घेतावनी दी गई। सभी नगर निकायों को सर्वे के आधार पर 20 जुलाई, 2015 तक शौधालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि सभी लाभार्थियों के खातों में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये। जिन निकायों ने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु निविदाये नहीं की हैं वे भी 20 जुलाई, 2015 तक निविदा प्रकाशित करवा देंगे। सभी नगर निकाय आगामी 20 वर्ष के लिये सिटी डेवलपमेंट प्लान (CDP) बनाये जाये एवं 5 वर्ष के लिये एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।

खुले में शौच मुक्त :- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय विहिन घरों में शौचालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने तथा निकायवार प्रगति रिपोर्ट ली जाकर समीक्षा की गई, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन निकायों में 1100 या 1100 से कम शौचालयों का निर्माण किया जाना है, उन निकायों को वर्ष 2015-16 से खुले में शौच मुक्त निकाय बनाया जायें। शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर सभी निकाय प्रमुखों को इसकी गति बढ़ाने एवं राजस्थान निकाय को खुले में शौचमुक्त बनाये जाने हेतु त्वरित गति से प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही कियान्विति के भी निर्देश दिये गये। प्रत्येक वाड में स्वच्छतादूत को नियुक्त कर स्वच्छ भारत मिशन की

प्रत्येक नगरीय निकाय ने त्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरेलू शौचालयों के आवेदन पत्रों ने Online Uploading हेतु भारत सरकार द्वारा Citizen Service Center (CSC) के मध्य MoU किया गया है। जिसके बारे में निकायों को पृथक से निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र के घरेलू शौचालयों के निर्माण के प्रार्थना पत्रों को स्वच्छ भास्त मिशन की वेबसाइट पर Online Uploading CSC के माध्यम से करदा सकते हैं।

सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का घयन कर निविदा अनंत्रित कर शौचालयों का निर्माण किया जावे। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप 5 वर्ष के रखरखाव संचालन का अनुबन्ध भी साथ ही किया जावे। समस्त निकायों को यह निर्देश दिये गये की शौचालयों के निर्माण हेतु तुरन्त कार्यवाही करते हुदे 7 दिवस में आवश्यक रूप से पालना रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

प्राप्ति अपाराधिक प्रबन्धन :- स्वच्छ भारत मिशन में दूसरे महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुरूप प्रत्येक नगर निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवानी है। उक्त डीपीआर में सिटी सेनिटेशन प्लान (CSP) का समावेश करते हुये डीपीआर को स्वीकृति हेतु राज्यरत्नसीमा उच्चाधिकार प्राप्त कर्मठी (HPC) में भिजवाने के निर्देश दिये गये। जिन शहरों की डीपीआर सलाहकार फर्मो द्वारा तैयार की जा रही है। उनसे अतिशीघ्र तैयार करवाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावें। घर-घर कचरा संग्रहण एवं कचरे के परिवहन हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। कचरे के परिस्करण हेतु प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

नगर निगम, जयपुर द्वारा आमंत्रित Waste to Energy Plant लगावाये जाने की निविदा को अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही Cleanliness Drive चलाने के निर्देश दिये गये जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था एवं अनाधिकृत पोस्टर-वैन्युर को हटाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम हेतु प्रभावी कदम एवं प्लास्टिक केरी बैग जब्त करने की कार्यवाही की जावें।

जिन निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जर्मीन उपलब्ध नहीं हैं, उनको सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिखे जाने एवं भूमि आवंटन के प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Information Education & Communication (IEC) :- स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक IEC हेतु Social Media जैसे Facebook और WhatsApp का प्रयोग कर IEC के अन्तर्गत हुई नियिकायों की फोटो डालकर साक्षेप विवरण के साथ प्रचारित करने के निर्देश दिये।

सामुदायिक जागरूकता एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है, जो कि शौचालय निर्माण से पूर्व निर्माण के दोरान एवं निर्मित शौचालय के उपयोग में एक महत्वपूर्ण Role Play करती है अतः पालिकाओं को निर्देशित किया गया कि इस घटक के अन्तर्गत राशि व्यय कर गतिविधिया सम्पन्न कराई जावें।

Capacity Building :- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु निकाय के सभी प्रार्थी, MLA, Mayor, Chairman को साथ लेकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढाये जाने क्रम में निकाय के कचरा परिवहन वाहनों, कचरा पात्रों इत्यादि पर स्वच्छ भारत मिशन का logo व, Tag Line (स्वच्छ भारत-स्वच्छ राजस्थान -स्वच्छ नगर निकाय को नाम) को लगाने के निर्देश दिये गये।

स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनायें जाने हेतु आमजन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार (IEC) गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गये। शिक्षा विभाग को सम्मिलित कर शिक्षण संस्थाओं में निबन्ध व Quiz प्रतियोगिता सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये हैं। IEC की मार्गदर्शिका एवं अन्य दस्तावेज CMAR की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

चौंदवे वित्त आयोग :- चौंदवे वित्त आयोग के बारे में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा चौंदवे वित्त आयोग द अन्य बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौंदवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बेसिक ग्रान्ट एवं परफोर्मेंस ग्रान्ट के लिए आवश्यक रिफोर्म को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर निकायों की स्वयं भी आय को बढ़ाने हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया गया। स्वयं की आय प्रत्येक कार्यवाही कि जावें। निकायों को पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमात्र पत्र अतिशीघ्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

National Urban Livelihood Mission (NULM) :- NULM के घटकों की कियान्विति हेतु परियोजना निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। NULM के घटकों की कियान्विति हेतु नगर निकायों को समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु RSLDC के जिला कार्यालय से संपर्क कर कार्य को त्वारित गति से करवाये जाने के निर्देश दिये गये। निकायों को पूर्व में SJSRY अन्तर्गत उपलब्ध

कराई गई राशि का उपयोग नहीं करने वाली निकायों को इस राशि को NIULM योजना में आरम्भिक शेष (Opening Balance) मानते हुए इसका उपयोग किया जावें।

ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) :- ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) प्रोजेक्ट के बारे में अधीक्षण अभियन्ता विधुत द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। एनजी इफिसियेन्ट सर्विसेज लि. (EESL) Ministry of Power की PSU कम्पनी से MoU किया गया है, वर्ष 2017 तक राज्य की समस्त निकायों की स्ट्रीट लाईट LED लाईट लगवाई जावेगी। इस हेतु कम्पनी द्वारा कार्य यातू कर दिया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को MoU की शर्तों के अनुसार उनका MoU करवाये जाने की कार्यवाही की जावे एवं जिन निकायों के MoU नहीं हुआ है।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा यह बताया गया, कि सम्पर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरणों को नियमित रूप से चैक कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे। नगर निकायों से सम्बन्धित कार्यों की आमजन की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है। टोल फ़ी नं. 1800:806127 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। टोल फ़ी नम्बर का सभी ULBs के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रस्तार किया जावे।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा विधान सभा प्रश्नों को समय पर निस्तारण, भूमि शाखा ने लम्हित प्रकरणों का निस्तारण निम्नानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रोपटी रजिस्टर का संबंध राज्य करते हुये Land bank बनाये जाने के निर्देश दिये गये। नगरीय निकायों में स्पूनिसिपल लिमिट द नारटर प्लान के तहत लैण्ड बैंक बनाये जाने से निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। Building लान स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये इससे भी निकायों को राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि नगर निकायों में स्टॉफ की कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये, कि जिला कलक्टर से स्टॉफ हेतु अतिरिक्त चार्ज दिये जाने एवं सेवानिवृत्त कार्मिकाओं को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृत पद से आधे पदों पर कार्य पर रखा जा सकता है।

भारत सरकार की नवीन योजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, RUIFDCO द्वारा विस्तार से बताया गया तथा योजनाओं हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट इत्यादि तैयार किये जाने हेतु नगर निकायों को निर्देश दिये गये हैं।

जयपुर संभाग में RUIDP द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में बताया गया तथा जयपुर संभाग में चल रहे सीवरेज के कार्यों को पूर्ण करवाते हुये घरों से निकलने वाले सीवरेज को सीवर लाईन से जोड़ने का कार्य अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत निशन की क्रियान्विति एवं अन्य योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

उप निदेशक (क्षेत्रीय) जयपुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में बैठक संध्यवाद समाप्त की गई।

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/SBM/Jaipur/15/21247-36
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

(संचिता विश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

दिनांक :- 05-07-2015

1/832

6. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
7. कार्यकारी निदेशक, रूफडिको, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. प्ररियोजना निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रूफडिको।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर।
13. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, जयपुर संभाग।
14. संयुक्त निदेशक (प्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
16. अधिशासी अभियन्ता, निदेशालय, जयपुर।
17. CMAR निदेशालय, जयपुर।
18. SBM, PMU Consultant.
19. रक्षित पत्रावली।

(संचिता विश्वास)
अतिरिक्त निदेशक


राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-३ राजमहल रेजीडेंसी एरिया, रिहिल लाईन्स फाटल सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफोन :- 0141-2222403, ई-मेल :- dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट :- www.lsgraj.org

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/SBM/Ajmer/15/ ११९६



स्वायत्त शासन - स्वायत्त राजस्थान
एक प्रत्येक सभीका की ओर

दिनांक :- ०५.०८.२०

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, अजमेर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया समीक्षा बैठक में मुख्यमन्त्री से स्वच्छ भारत निरां (SBM) कियान्विति राष्ट्रीय शहरी अजियिका मिशन (NULM) चौंहवे विल आयोग (14th FC) राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऊर्जा बद्धत हेतु ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाइंट (LED), लेण्ड वैक, भारत सरकार की योजना AMRUT/HFA/SMART CITY/UIDSSMT एवं RUIDP द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों के बारे में बताना रिथ्ति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान संभागीय आयुक्त, अजमेर आयुक्त नगर निगम अजमेर, उप निदेशक (स्थानीय निकाय) अजमेर, अजमेर सभाग की निकायों के आयुक्त/अधिशापी/अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित रहे।

निदेशालय स्थानीय निकाय, आरयूआइडीपी व रूडिफको से उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे तथा CMAR एवं PMU Consultant भी बैठक में उपस्थित रहे।

संभागीय आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन में प्रमुख घटक यथा, खुले में शौच मुक्त की दिशा में घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा उपयोग व रखरखाव के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता के प्रति आमजन को प्रेरित करने पर बल दिया। सभी नगर निकाय आगामी 20 वर्ष के लिये सिटी डेवलपमेंट प्लान (CDP) बनाये जावे एवं 5 वर्ष के लिये एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।

खुले में शौच मुक्त :- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय विहिन घरों में शौचालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुल्प किये जाने तथा निकायवार प्रगति रिपोर्ट ली जाकर समीक्षा की गई, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन निकायों में 1100 या 1100 से कम शौचालयों का निर्माण किया जाना है, उन निकायों को वर्ष 2015-16 में खुले में शौच मुक्त निकाय बनाया जावे। शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर सभी निकाय प्रमुखों को इसकी गति बढ़ाने एवं राजस्थान निकाय को खुले में शौचमुक्त बनाये जाने हेतु त्वरित गति से प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही कियान्विति के भी निर्देश दिये गये। प्रत्येक वार्ड में त्वच्छतादूत को नियुक्त कर स्वच्छ भारत मिशन की कियान्विति के भी निर्देश दिये गये।

प्रत्येक नगरीय निकाय ने त्वच्छ भारत निरान के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरेलू शौचालयों के आवेदन पत्रों को Online Uploading हेतु भारत सरकार द्वारा Citizen Service Center (CSC) के मध्य MoU किया गया है। जिसके बारे में निकायों को पृथक तंत्र निर्देश जारी कर दिये गये हैं; प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र के घरेलू शौचालयों के निर्माण के प्रार्थना पत्रों को त्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर Online Uploading CSC के माध्यम से करवा सकते हैं।

"खुले में शौच नुक्त राजस्थान" की प्रगति के बारे में प्रत्येक नगर निकाय द्वारा घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु राज्य को लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की जावे।

सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का दायरण कर निविदा आमंत्रित कर शौचालयों का निर्माण किया जावे। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसुप्त 5 वर्ष के रखरखाव संचालन का अनुबन्ध भी साथ ही किया जावे।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :— स्वच्छ भारत मिशन में दूसरे महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुसुप्त प्रत्येक नगर निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवानी है। उक्त डीपीआर में सिटी सेनिटेशन प्लान (CSP) का समावेश करते हुये डीपीआर को स्वीकृति हेतु राज्यरत्नरीय उच्चाधिकार प्राप्त कर्मटी (HPC) में भिजवाने के निर्देश दिये गये। जिन शहरों की डीपीआर सलाहकार फर्मों द्वारा तैयार की जा रही है। उनसे अतिशीघ्र तैयार करवाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावें। घर-घर कचरा संग्रहण एवं कचरे के परिवहन हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। कचरे के परिसंस्करण हेतु ज्ञान की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

नगर निगम, अजमेर द्वारा Processing Plant लगाये जाने की निविदा जारी की जा चुकी है। जिसको नगर निगम स्तर पर प्राप्त कर स्वीकृति हेतु अप्रिन कार्यवाही की जानी है। साथ ही Cleanliness Drive चलाने के निर्देश दिये गये जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था एवं अनाधिकृत पोस्टर-डैनर को हटाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथान हेतु प्रगाची कदम एवं प्लास्टिक केरी थैंग जल्द करने की कार्यवाही की जावे।

जिन निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, उनको सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिखे जाने एवं भूमि आवंटन के प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Information Education & Communication (IEC) :— स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक IEC हेतु Social Media जैसे Facebook और Whatsapp का प्रयोग कर IEC के अन्तर्गत हुई गतिविधियों की फोटो डालकर संक्षिप्त विवरण के साथ प्रचारित करने के निर्देश दिये। मल-मुख संचरण के विभिन्न माध्यमों पर चर्चा करते हुये इसके रोकथाम हेतु शौचालय निर्माण एवं उपयोग की उपादेयता सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण दिया गया।

सामुदायिक जागरूकता एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है, जो कि शौचालय निर्माण से पूर्व निर्माण के दोसरा एवं निर्मित शौचालय के उपयोग में एक महत्वपूर्ण Role Play करती है अतः पालिकाओं को निर्देशित किया गया कि इस घटक के अन्तर्गत राशि व्यय कर गतिविधिया सम्पन्न कराई जावें।

Capacity Building :- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु निकाय के सभी पार्षद, MLA, Mayor, Chairman को साथ लेकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढाये जाने के निकाय के कचरा परिवहन वाहनों, कचरा पात्रों इत्यादि पर स्वच्छ भारत मिशन का Logo व Tag Line (स्वच्छ भारत-स्वच्छ राजस्थान -स्वच्छ..... (नगर निकाय को नाम) को लगाने के निर्देश दिये गये।

स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाये जाने हेतु आनंदन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रज्ञान (IEC) गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुसुप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। शिक्षा विभाग को सम्मिलित कर शिक्षण संस्थाओं में निबन्ध व Quiz प्रतियोगिता सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये हैं। IEC की मार्गदर्शिका एवं अन्य दस्तावेज CMAR की वेबजार्इट पर उपलब्ध है।

चौंदवे वित्त आयोग :— चौंदवे वित्त आयोग के बारे में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा घौंदहवें वित्त आयोग व अन्य चिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौंदवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बेसिक ग्रान्ट एवं परफोर्मेंस ग्रान्ट के लिए आवश्यक रिफॉर्म को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर निकायों की स्वयं भी आय को बढ़ाने हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया गया। स्वयं की आंय प्रत्येक आगामी वर्षों में बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। निकायों के लम्बित ऑडिट पैरा के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही कि जावें। निकायों को पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमात्र पत्र अतिशीघ्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

National Urban Livelihood Mission (NULM) :- NULM के घटकों की कियान्विति हेतु परियोजना निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। NULM के घटकों की कियान्विति हेतु नगर निकायों को समयवद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समयवद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु RSLDC के जिला कार्यालय से संपर्क कर कार्य को त्वारित गति से करवायें जाने के निर्देश दिये गये। निकायों को पूर्व में SJSRV अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग नहीं करने वाली निकायों को इस राशि को NULM योजना में आरम्भिक शेष (Opening Balance) मानते हुए इसका उपयोग किया जावें।

ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) :- ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) प्रोजेक्ट के बारे में अधीक्षण अभियन्ता विधुत द्वारा विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। एनर्जी इफिसियेन्ट सर्विसेज लि. (EESL) Ministry of Power की PSU कम्पनी से MoU किया गया है, वर्ष 2017 तक राज्य की समस्त निकायों की स्ट्रीट लाईट LED लाईट लगवाई जावेगी। इस हेतु कम्पनी द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को MoU की शर्तों के अनुसार भगवर निकायों में एलईडी लाईट लगाने की कार्यवाही की जावे एवं जिन निकायों के MoU नहीं हुआ है उनका MoU करवाये जानें की कार्यवाही की जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा यह बताया गया, कि सम्पर्क पोर्टल पर वकाया प्रकरणों को नियमित रूप से छैक कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे। नगर निकायों से सम्बन्धित कार्यों की आनंदन की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। टोल फ़ी नं. 18001806127 पर शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेगी। टोल फ़ी नम्बर का सभी ULBs के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा विधान सभा प्रश्नों को समय पर निस्तारण, भूमि शाखा में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रोपटी रजिस्टर का संधारण करते हुये Land bank बनाये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि नगर निकायों में स्टॉफ की कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये, कि जिला कलक्टर से स्टाफ हेतु अतिरिक्त चार्ज दिये जाने एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृत पद से आधे पदों पर कार्य पर रखा जा सकता है।

भारत सरकार की नयोन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया तथा योजनाओं हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट इत्यादि तैयार किये जाने हेतु नगर निकायों को निर्देश दिये गये हैं।

110311

अजमेर संभाग में RUIDP द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में बताया गया तथा अजमेर शहर की सीवरेज के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। अजमेर शहर के बचे हुये क्षेत्र हेतु सीवरेज की DPR बनाये जाने की आवश्यकता बताई गई। इस हेतु नगर निगम, अजमेर को निर्देश दिये गये। अजमेर संभाग में चल रहे सीवरेज के कार्यों का पूर्ण करवाते हुये घरों से निकलने वाले सीवरेज को सीवर लाईन से जोड़ने का काम अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति एवं अन्य योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रभादी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने अजमेर, टोक एवं नागार के निकायों को निर्देशित किया कि वे स्वच्छ भारत मिशन सम्बन्धी गतिविधियों को गम्भीरता से लेते हुये कार्य को गति देवें।

उप निदेशक (क्षेत्रीय) अजमेर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(सचिवता विश्वनोई)

अतिरिक्त निदेशक

दिनांक :- 05.08.

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/SBM/Ajmer/15/ २११९७ - २५५ प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, अजमेर।
4. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक, लफडिको, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, अजमेर।
7. आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
8. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लफडिको।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), अजमेर।
13. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, अजमेर संभाग।
14. संयुक्त निदेशक (स्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
16. अधिशासी अभियन्ता, निदेशालय, जयपुर।
17. CMAR निदेशालय, जयपुर।
18. SBM, PMU Consultant.
19. रक्षित पत्रावली।

(सचिवता विश्वनोई)

अतिरिक्त निदेशक

11842

12

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. बीकानेर

जी-३ राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक रसी-रक्कीम, बीकानेर।

टेलीफोनस - ०१४१-२२२२४०३, ई-मेल - dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट - www.lsgraj.org

क्रमांक :- एफ 55()Engg /CE/DLB/SBM/Bikaner/15/ २।३०७

संघ भारत- संघ राजस्वान
एवं एवं संकेतों की अंतर

बैटक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रभुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे जिला कलेक्टर, धीकानेर के द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में मुख्यरूप से स्वच्छ भारत मिशन (SBM) कियान्विति राष्ट्रीय शहरी असिविका मिशन (NULM) धौंहवें दित्त आयोग (14th FC) राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऊर्जा व्यवहार हेतु ऊर्जा दक्षता दाती स्ट्रीट लाईट (LED), लेप्ड बैंक, भारत सरकार की योजना AMRUT/HFA/SMART CITY/UJODSSMT एवं RUIDP द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों के बारे में वर्तमान स्थिति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान आयुक्त नगर निगम वीकानेर, उप निदेशक (रथानीय निकाय) वीकानेर सभाग की निकायों के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित रहे। निदशालय रथानीय निकाय, आरयूआइडीपी व रुड़िफक्स में उक्त यांजनाओं से जन्मधित अधिकारी उपस्थित रहते हुए CMAR एवं PMU Consultant भी बैठक में उपस्थित रहे।

प्रमुख शासन संघिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छ भारत निशन में प्रमुख घटक यथा खुले में शौच मुक्त की दिशा में घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के बारे में विस्तृत चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की धीमीगति को त्वरित गति से बढ़ाये जाने एवं कोताही वरतने वाले अधिनियमों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। सभी नगर निकायों को सर्वे के आधार पर 20 जुलाई, 2015 तक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि सभी लाभार्थियों के खातों में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये। जिन निकायों ने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु निविदायें नहीं की हैं वे भी 20 जुलाई, 2015 तक निविदा प्रकाशित करवा देये। सभी नगर निकाय आगामी 20 वर्ष के लिये सिटी डबलप्लेन्ट प्लान (CDP) बनाये जावे एवं 5 वर्ष के लिये एंक्षन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।

खुले में शौच मुक्ति :- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय विहिन घरों में शौचालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने तथा निकायवार प्रगति रिपोर्ट ली जाकर समीक्षा की गई, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन निकायों में 1100 या 1100 से कम शौचालयों का निर्माण किया जाना है, उन निकायों को वर्ष 2015-16 में खुले में शौच मुक्ति निकाय दनाया जावें। शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर सभी निकाय प्रमुखों को इसकी गति बढ़ाने एवं राजस्थान निकाय को खुले में शौचमुक्ति बनाये जाने हेतु त्वरित गति से प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। यदि घरों में जगह की करी है तो सामुदायिक शौचालय निर्माण करवाया जावें। जो जहाँ पर निवासरत हैं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत पात्र हैं तब उनके घरों में नियमानुसार शौचालय निर्माण शीघ्र करवाया जावे। प्रत्येक वार्ड में स्वच्छतादूत को नियुक्त कर स्वच्छ भारत मिशन की कियान्विति के भी निर्देश दिये गये।

प्रत्येक नगरीय निलाय ने स्वच्छ भारत निशन के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरेलू शौचालयों के आवेदन पत्रों को Online Uploading हेतु भारत सरकार द्वारा Citizen Service Center (CSC) के मध्य MoU किया गया है। जिसके द्वारे ने निकायों को पृथक् ते निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र के घरेलू शौचालयों के निर्माण के प्रार्थना पत्रों को स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाईट पर Online Uploading CSC के नायन से करवा भक्ति है। यदि Online Uploading में फिर भी कठिनाई आती है तो मेन्युल सेंक्षण जारी कर तकते हैं।

ज्ञानुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का घयन कर निविदा आमंत्रित कर शौचालयों का निर्माण किया जावे। ज्ञानुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुलेप 5 वर्ष के रंखरखाव संचालन का अनुबन्ध भी ताथ ही किया जावे। समस्त निकायों को यह निर्देश दिये गये की शौचालयों के निर्माण हेतु तुरन्त कार्यदाही करते हये 7 दिवस में आवश्यक रूप से

पालना रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिये गये। जिन निकायों द्वारा ओडीएफ की प्रगति वर्ष 2016 तक की जावेगी, उनको माननीय मुख्यमंत्री, महोदया द्वारा पुरस्कृत किये जाने हेतु नाम भेजे जावें।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन — स्वच्छ भारत मिशन में दूसरे महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुसूत प्रत्येक नगर निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) 31 अगस्त, 2016 तक तैयार करवानी है। उक्त डीपीआर में सिटी सेन्टरेशन प्लान (CSP) का समावेश करते हुये डीपीआर शहरों की डीपीआर सलाहकार फर्मों द्वारा तैयार की जा रही है। उनसे अतिशीघ्र तैयार करवाकर हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। कचरे के परिसंस्करण हेतु प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

निकायों द्वारा कुछ बाड़ों में घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य सूचारू लप से किया जा रहा है जिसे सभी बाड़ों में लागू किया जावे।

नगर निगम, बीकानेर द्वारा Processing Plant लगवाये जाने की निविदा जारी की जा चुकी है। जिसको नगर निगम स्तर पर प्राप्त कर स्थीकृत हेतु अग्रिम कार्यवाही की जानी है। साथ ही Cleanliness Drive चलाने के निर्देश दिये गये जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था एवं अनाधिकृत पोस्टर-बैंनर को हटाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम हेतु प्रभावी कदन एवं प्लास्टिक केरी बैग जल्द करने की कार्यवाही की जावे।

जिन निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जगीन उपलब्ध नहीं है, उनको सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिखे जाने एवं भूमि आवटन के प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Information Education & Communication (IEC) :- स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक IEC हेतु Social Media जैसे Facebook और Whatsapp का प्रयोग कर IEC के अन्तर्गत हुई गतिविधियों की फोटो डालकर संक्षिप्त विदरण के साथ प्रचारित करने के निर्देश दिये।

सामुदायिक जागरूकता एक निरन्तर बढ़ने वाली गतिविधि है, जो कि शौचालय निर्माण से पूर्व निर्माण के दोरान एवं निर्मित शौचालय के उपयोग में एक महत्वपूर्ण Role Play करती है अतः पालिकाओं को निर्देशित किया गया कि इस घटक के अन्तर्गत राशि व्यय कर गतिविधिया सम्पन्न कराई जावे। मल-मुख संचरण के विभिन्न माध्यमों पर चर्चा करते हुये इसके रोकथाम हेतु शौचालय निर्माण एवं उपयोग की उपादेयता सम्बन्धि पॉवर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिया गया।

Capacity Building :- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु निकाय के सभी पार्षद, MLA, Mayor, Chairman को साथ लेकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

स्वच्छ भारत मिशन — घर-घर कचरा संग्रहण हेतु निकाय स्तर पर निविदाये निकालकर कार्य करवाया जावे। इस कार्य में NGO/BLOs/RWAs को सम्मिलित करते हुये घर-घर कचरा संग्रहण करवाकर उसका परिवहन सुनिश्चित किया जावे। इस कार्य में राज्य सरकार की सूची द्वारा प्रतिपादित मान्य ढके हुये वाहनों का उपयोग किया जावे जिनका Cleanliness हेतु प्रतिबद्धता के साथ प्रभावी कार्यवाही की जावे।

सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ाये जाने क्रम में निकाय के कचरा परिवहन वाहनों, कचरा पत्रों इत्यादि पर स्वच्छ भारत मिशन का logo व Tag Line (स्वच्छ भारत-स्वच्छ राजस्थान -स्वच्छ) (नगर निकाय को नाम) को लगाने के निर्देश दिये गये।

स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाये जाने हेतु आमजन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रधार प्रसार (IEC) गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुसूत किये जाने के निर्देश दिये गये। शिक्षा विनाग को सम्मिलित कर शिक्षण संस्थाओं में निबन्ध व Quiz प्रतियोगिता सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये हैं। IEC की मार्गदर्शिका एवं अन्य दस्तावेज CMAR की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

चौदवे वित्त आयोग :- चौदवे वित्त आयोग के बारे में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा चौदवे वित्त आयोग व अन्य विन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौदवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वैसिक ग्रान्ट एवं परफॉर्मेंस ग्रान्ट के लिए आवश्यक रिफोर्म को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर निकायों की स्वयं भी आय को बढ़ाने हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया गया। स्वयं की आय प्रत्येक आगमी वर्षों में बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। निकायों के लम्बित ऑडिट पैरा के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही कि जावें। निकायों को पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमात्र पत्र अतिरीघ दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिन निकायों के पास अनुदान की राशि उपलब्ध है और व्यय नहीं किया गया है उसे सीधेरेज़ आदि योजनाओं में प्रयोग किया जा सकता है।

National Urban Livelihood Mission (NULM) :- NULM के घटकों की कियान्विति हेतु परियोजना निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। NULM के घटकों की कियान्विति हेतु नगर निकायों को समयवद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समयवद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु RSLDC के जिला कार्यालय से संपर्क कर कार्य को त्वरित गति से करवाये जाने के निर्देश दिये गये। निकायों को पूर्व में SJSRY अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग नहीं करने वाली निकायों को इस राशि को NULM योजना ने आरम्भिक शेष (Opening Balance) मानते हुए इसका उपयोग किया जावें।

(ल)

ऊर्जा दबत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) :- ऊर्जा दबत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) प्रोजेक्ट के बारे में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। एनजी इफिसियेन्ट सविसेज़ लि. (EESL) Ministry of Power का PSU कम्पनी से MoU किया गया है, वर्ष 2017 तक राज्य की समस्त निकायों की स्ट्रीट लाईट LED लाईट लगवाई जावेगी। इस हेतु कम्पनी द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को MoU की शर्तों के अनुसार नगर निकायों में एलईडी लाईट लगाने की कार्यवाही की जावे एवं जिन निकायों के MoU नहीं हुआ है उनका MoU करवाये जाने की कार्यवाही की जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा यह बताया गया, कि सम्पर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरणों को नियमित रूप से चैक कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावें। नगर निकायों से सम्बन्धित कार्यों की आमजन की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है। टोल फी नं. 18001806127 पर शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेगी। टोल फी नम्बर का सभी ULBs के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें।

गो १.

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा विधान सभा प्रश्नों को समय पर निस्तारण, भूमि शाखा में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रोपटी रजिस्टर का संधारण करते हुये Land bank बनाये जाने के निर्देश दिये गये। नगरीय निकायों में म्यूनिसिपल लिनिट व मास्टर फ्लान के तहत लैण्ड बैंक बनाये जाने से निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। Building फ्लान स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये इससे भी निकायों को राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि नगर निकायों में स्टॉफ की कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये, कि जिला कलक्टर से स्टॉफ हेतु अतिरिक्त चार्ज दिये जाने एवं सेवानिवृत कार्मिकों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृत पद से आधे पदों पर कार्य पर रखा जा जावेगा।

भारत सरकार की नवीन योजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, RUIDFOCO द्वारा फिस्तार से बताया गया तथा योजनाओं हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट इत्यादि तैयार किये जाने हेतु नगर निकायों को निर्देश दिये गये हैं।

वीकानेर संभाग में RUIDFOCO द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में बताया गया तथा सीधेर लाईन से जोड़ने का कार्य अतिरीघ किये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि नगर निगम, बीकानेर व नगर विकास न्यास, बीकानेर अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाये जाने सुनिश्चित करें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति इत्थ अन्य योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

उप निदेशक (क्षेत्रीय) बीकानेर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(संचिता विश्वनोई)
अतिरिक्त निदेशक

दिनांक :- ०५.०८.

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/SBM/Bikaner/15/ २१३०८-५५
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन लयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
4. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक, रुफ़फ़िको, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
7. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
8. मुख्य अनियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रुफ़फ़िको।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), बीकानेर।
13. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, बीकानेर संभाग।
14. संयुक्त निदेशक (प्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
16. अधिशासी अभियन्ता, निदेशालय, जयपुर।
17. CMAR निदेशालय, जयपुर।
18. SBM, PMU Consultant.
19. रक्षित पत्रावली।

(संचिता विश्वनोई)
अतिरिक्त/निदेशक